सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 128 / 2015 अपील
पंजीयन दिनांक– 28.09.2015
निर्णय दिनांक – 04.12.2017

1. श्रीमती देऊ पुत्री हीराजी डांगी, निवासी भमेला तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
2. श्रीमती केशी पुत्री हीराजी डांगी,निवासी भमेला तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
3. श्रीमती गंगा पुत्री हीराजी डांगी,निवासी भमेला तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
4. श्रीमती कैलाशी पुत्री हीराजी डांगी,निवासी भमेला तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री केवा पिता रुपाजी डांगी, निवासी बाड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. श्री गौमा पिता रुपाजी डांगी, निवासी बाड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. श्री प्रथा पिता मेगाजी डांगी, निवासी भमेला कुण्डई तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
4. श्री वालचन्द पिता मेगाजी डांगी, निवासी भमेला कुण्डई तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
5. श्री सवलाल पिता मेगाजी डांगी, निवासी भमेला कुण्डई तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
6. श्री उदयलाल पिता मेगाजी डांगी, निवासी भमेला कुण्डई तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
7. श्री रोड़ीलाल पिता मेगाजी डांगी, निवासी भमेला कुण्डई तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
8. श्री गौतम लाल पिता मेगाजी डांगी, निवासी भमेला कुण्डई तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

9. <u>मृतक</u> श्रीमती गंगा बाई पत्नि स्व. मेगाजी डांगी, निवासी भमेला कुण्डई तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर

——रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थितिः

1— श्री भूरालाल डांगी — अधिवक्ता अपीलान्ट्स अनुपस्थित।

2— श्री भीमराज पटेल — अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट—1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर प्रकरण संख्या 18/2014 निर्णय दिनांक 31—3—2014

निर्णय

दिनांक : 04.12.2017

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के प्रकरण संख्या 18/2014 निर्णय दिनांक 31..03.2014 के विरुद्व पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्रम कुण्डई तहसील वल्लभनगर में स्थित कृषि भूमि के पुराने खाते संख्या 60 व 61 के मूल खातेदार वेला पिता सवा डांगी थे। वेला पिता सवा डांगी की मृत्यु 1992 में हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् ग्रम कुण्डई की कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या संख्या 325 के जरिये भेरा व हीरा के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया तथा वेला की पुत्री रम्भा के नाम नामान्तरकरण नहीं खोले जाने से श्रीमती रम्बा के वारिसान रेस्पों.संख्या 1 व 2 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में पेश की गई। जिला कलक्टर उदयपुर ने नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 19.05.1993 को निरस्त कर प्रकरण तहसीदार वल्लभनगर को रिमाण्ड़ कर निर्देशित किया गया कि मृतक वेला पिता सवा डांगी एवं भेरा पिता वेला डांगी के वारिसान की विधीवत जांच कर पक्षकारान को साक्ष्य/ सबूत आदि पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधीवत निर्णय पारित किये जाने का आदेश दिनांक 31.03.2014 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या–1,2 उपस्थित। वकील रेस्पों.संख्या 1 व 2 की एक तरफा बहस दिनांक 14.11.2017 को सुनी गई तथा वकील अपीलान्ट को लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया। वकील अपीलान्ट ने दिनांक 24.11.2017 को लिखित बहस पेश की गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा 19 वर्ष बाद अपील पेश करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया और कहीं भी यह नही बताया गया कि प्रत्यर्थी संख्या एक व दो की माता रम्भा बाई का निधन कब हुआ और न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि रम्भाबाई वेला की पुत्री होकर वेला के निधन के वक्त वह जिन्दा हो व उसको वेला की भूमि विरासत से प्राप्त हुई हो, ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर न्यायालय में अपील चलने योग्य नही होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड करने का आदेश दिया जो विधी एवं तथ्यों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह गलत धारित किया है कि वेला के श्रीमति रम्भा पुत्री होने का खण्ड़न नहीं किया है जिससे यह मान लिया गया कि वेला रम्भा की पुत्री है जबकि न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसके होने का अभिकथन करता है तथा वेला के रम्भा पुत्री है यह साबित करने का भार रेस्पों. संख्या एक व दो पर था जो उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि रम्भा वेला की पुत्री है। आगे यह भी बताया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी संख्या तीन से आठ को विक्रय की जा चुकी है तथा प्रत्यर्थी संख्या तीन से आठ विक्रय की दिनांक से विवादित भूमी पर मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा प्रत्यर्थी संख्या तीन से आठ बोनाफाईड परचेजर होकर वर्तमान में खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही के द्वारा पक्षकारों के हित निर्धारित नहीं किये जा सकते है तथा प्रत्यर्थी संख्या एक व दो नियमित वाद के द्वारा ही अपने अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों के मद्दे नजर उप तहसीलदार द्वारा विविधवत जॉच कर नामान्तरकरण विधिक वारिसान के पक्ष में पारित किया है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय

जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2014 अपास्त फरमाया जाकर उ. तहसीलदार भीण्डर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 19.05.1993 यथावत रखने का आदेश प्रदान करावे। अपने कथन के समर्थन में आर.एल.डबल्यू. 2010 (1) आर.जे. 415 एवं आर.एल.डबल्यू. 2005 (1) आर.जे. 630 के न्यायिक दृष्टांन्त पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने कथन में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार स्व. वेला पिता सवा डांगी के नाम पर दर्ज थी। उसके देहान्त कें उपरान्त उक्त भूमि का विरासत के आधार पर उसके दो पुत्रों श्री भेरा व हीरा के नाम नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 19.05.1993 स्वीकृत किया गया। जबकि वेला के एक पुत्री रम्बा भी थीं। उसका नाम नामान्तरकरण में नहीं खोला गया तथा नामान्तरकरण खोलते समय रम्बा पुत्री होने का तथ्य भी सजरे में छिपाया गया जो कानूनन गलत है। जबकि विरासत से तीनो वारिसों के नाम नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था। उप तहसीलदार भीण्डर द्वारा मृतक वेला पिता सवा के वारिसान की विधीवत जांच नहीं कर मृतक श्री वेला की पुत्री श्रीमति रम्बा व उसकी मृत्यु उपरान्त रेस्पों. संख्या 1 व 2 वारिसान होते हुए केवल श्री वेला के लड़के श्री भेरा व श्री हीरा को ही वारिस मानकर श्री भेरा की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी मु. दोली बेवा भेरा के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण निर्णित किया जाना प्रकट होता है। मृतक वेला की पुत्री रम्बा थी या नहीं इस बात का खण्ड़न अपीलान्ट ने कहीं नहीं किया गया है। केवल शादी कराये जाने से उसके पिता की मौरुसी जायदाद में हक हकूक समाप्त नहीं हो जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मृतक वेला के विधिक वारीसान की विधीवत जांच कर पक्षकारान को साक्ष्य /सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर उन्हें सुना जाकर विंधीवत निर्णय पारित करने का आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे तथा न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित निर्णय यथावत रखाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। गम्रम कुण्डई तहसील वल्लभनगर में स्थित कृषि भूमि के पुराने खाते संख्या 60 व 61 के मूल खातेदार वेला पिता सवा डांगी थे। वेला पिता सवा डांगी की मृत्यु 1992 में हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् गम्रम कुण्डई की कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या संख्या 325 के जरिये भेरा व हीरा के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। मृतक वेला पिता सवा के वारिसान की विधीवत जांच

नहीं कर मृतक श्री वेला की पुत्री श्रीमति रम्बा का अंकन नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है तथा मृतक वेला की पुत्री रम्बा थी या नहीं इस बात का खण्ड़न अपीलान्ट ने कहीं नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मृतक वेला के विधिक वारीसान की विधीवत जांच कर पक्षकारान को साक्ष्य /सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर उन्हें सुना जाकर विधीवत निर्णय पारित करने के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2014 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर